प्रेस नोट　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　दिनांक 13.07.2026

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शापिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले कॉल सेन्टर के 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 अदद मोबाईल फोन व 20,010/- रुपये नगद बरामद ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देश पर साइबर अपराध के पोर्टल द्वारा चिह्नित हॉट स्पॉट पर कार्यवाही के दौरान पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध में लिप्त 6 अभियुक्तों को थाना इन्दिरापुरम के शक्ति खण्ड क्षेत्र के म0नं0 49 से आज दिनांक 13.07.2026 को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों के पास से बरामद दस्तावेज से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान राज्य की कुल 6 घटनाओं का खुलासा हुआ। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 10 मोबाइल फोन तथा 20,010/- रुपये नगद बरामद हुए हैं।

<u>अपराध कारित करने का तरीका:-</u>

अभियुक्त गण ने पूछताछ में बताया कि वो लोग सिद्धार्थ निवासी बिहार से फ्लिपकार्ट कंपनी से शापिंग करने वाले ग्राहकों का डाटा प्राप्त कर लोगों को काल कर उनकी शॉपिंग का पेमेंट न होने की बात कहकर दोबारा उनका पेमेंट कराने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। इन अभियुक्तों द्वारा जोधपुर, राजस्थान निवासी श्री श्याम लाल भाटी निवासी के साथ पार्सल के नाम पर, साइबराबाद, तेलंगाना निवासी श्री गोवर्धन रेड्डी के साथ एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, झांसी उत्तर प्रदेश निवासी सुश्री रिध्दि आहूजा के साथ, मोरबी गुजरात निवासी खुशबू अग्रवाल के साथ, रोहिणी दिल्ली निवासी शालिनी सन्तोष के साथ, मलकाजगिरी तेलंगाना निवासी जी स्वामी प्रसाद के साथ, गाँधी नगर गुजरात निवासी मयूध्वज सिंह शोढ़ा के साथ ऑनलाइन फ्लिपकार्ट शॉपिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया है।

इनमें से गच्ची बावली, साइबराबाद, तेलंगाना निवासी श्री गोवर्धन रेड्डी के साथ एडवर्टाइजमेंट के नाम पर हुई साइबर फ्रॉड की शिकायत के सम्बन्ध में थाना साइबराबाद तेलंगाना में अभियोग दर्ज है।

अभियुक्त गण द्वारा छोटी-छोटी विभिन्न घटनाओं में कुल करीब 2.5 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इनसे प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अन्य साइबर अपराध की घटनाओं का पता लगाया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता –</u>

1. राजू कमार पुत्र किशोरी प्रसाद निवासी फ्लैट नं0 539, बिल्डिंग, 4th फ्लोर, वैशाली सेक्टर-5, गाजियाबाद स्थायी पता: ग्राम – जगीराह, पोस्ट – पश्चिमी चम्पारण, बिहार
2. आदित्य उर्फ प्रकाश यादव पुत्र रूदल यादव, निवासी मकान नं. 312-A, शक्ति खण्ड-1, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद स्थायी पता: ग्राम – खलीलाबाद, कटका चौराहा संतकबीर नगर
3. विराट चौधरी पुत्र पप्पू सिंह, निवासी फ्लैट नं. 49, शक्ति खण्ड 1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद स्थायी पता: ग्राम – वड्डा, पोस्ट स्याना जिला बुलन्दशहर
4. आशीष पुत्र गुरु चरण निवासी फ्लैट नं. 49, शक्ति खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद स्थायी पता: ग्राम – अगवानपुर, थाना – परीक्षितगढ़, जिला मेरठ
5. पंकज शर्मा पुत्र कमल प्रकाश शर्मा, निवासी भीम नगर, बाईपास रोड, गाजियाबाद स्थायी पता: ग्राम – कुरैम, पोस्ट – जाफर, ककोड़ के पास, गौतमबुद्ध नगर
6. खुशी W/O हुकुम चन्द्र R/O B55 माता वाली गली, जौहरीपुर, करवल नगर रोड, दिल्ली – 94

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. काजल पत्नी आदित्य उर्फ प्रकाश यादव निवासी मकान नं. 312-A, शक्ति खण्ड-1, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद स्थायी पता: ग्राम – खलीलाबाद, कटका चौराहा संतकबीर नगर
2. सिद्धार्थ नि0 अज्ञात

बरामदगी का विवरणः-

- 10 अदद मोबाईल फोन।
- 20,010/- रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त अभियुक्तगण से प्राप्त बरामद मोबाइल फोन/आईएमईआई न0 पर अलग-अलग राज्यों से साइबर फ्रॉड से सम्बंधित कई ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 12.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त दिवेश उर्फ गोलू पुत्र जयवीर धामा निवासी- ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह तमंचा मेरे पिताजी ने लिया था जिनकी 2021 में मृत्यु हो गयी है। यह तमंचा मैंने लोगों में अपना रौब जमाने तथा डराने धमकाने के लिए अपने पास रखा हुआ था। मैं इस तमंचे को लेकर बाहर निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

दिवेश उर्फ गोलू पुत्र जयवीर धामा निवासी- ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में भी थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग लूट का, 01 अभियोग चोरी का व 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट का पंजीकृत है **(कुल अभियोग 04)** । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 12.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. बिलाल पुत्र रहीस अहमद निवासी प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष। 2. आकिब पुत्र शकील निवासी प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई है जिसके संबंध में चोरी का अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है। उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल की बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर धारा-317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों आपस में दोस्त है तथा एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। हम दोनों ने मिलकर यह मोटरसाइकिल दिल्ली क्षेत्र से चोरी की थी। हम दोनों इस मोटरसाइकिल को लेकर बेचने की फिराक में बाहर निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. बिलाल पुत्र रहीस अहमद निवासी प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. आकिब पुत्र शकील निवासी प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना ज्योतिनगर दिल्ली में उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त बिलाल पर पूर्व में भी 01 अभियोग चोरी का थाना लोनी बॉर्डर पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन सैमसंग, 02 टोप्स पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु, 01 लोकेट पीली धातु, 03 गिलास सफेद धातु, 03 घड़ियां, 04 पैर की अंगूठियां सफेद धातु व घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक **12.05.2026 को** थाना शालीमार गार्डन पर वादी योगेश बंसल निवासी शालीमार गार्डन एक्स ने लिखित तहरीर दी और बताया कि 11.05.2026 को जब मे किसी काम से बाहर गया हुआ था तभी किन्ही अज्ञात चोर द्वारा मेरे घर से कीमती सामान,मोबाइल फोन चोरी कर लिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 305(**A**) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आज दिनांक 13.07.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गन्दे नाले की पुलिया के पास शालीमार गार्डन एक्स-01 से 03 अभियुक्त 1. आमिर पुत्र सलीम निवासी बच्चा/पप्पू कॉलोनी, थाना शालीमार गार्डन, गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष, 2. चांद नबी पुत्र शाहबुद्दीन निवासी ई-44**A**/347, नई सीमापुरी, दिल्ली, उम्र करीब 34 वर्ष तथा 3. फरदीन पुत्र लियाकत अली निवासी ई-43, न्यू सीमापुरी, थाना सीमापुरी, दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन सैमसंग, 02 टोप्स पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु, 01 लोकेट पीली धातु, 03 गिलास सफेद धातु, 03 घड़ियां, 04 पैर की अंगूठियां सफेद धातु तथा घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने मिलकर थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में सड़क किनारे स्थित एक फ्लैट में चोरी की थी। चोरी के सामान के सम्बन्ध में अभियुक्तों ने बताया कि वे चोरी का सामान धीरे-धीरे राह चलते व्यक्तियों एवं कबाड़ियों को बेच देते थे तथा कुछ सामान सीमापुरी की झुग्गियों में भी बेच चुके हैं, जिनके नाम व पते की जानकारी उन्हें नहीं है। चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त धनराशि को वे नशे एवं अपने शौक पूरे करने में खर्च कर देते थे। अभियुक्त फरदीन ने बताया कि चोरी का अधिकांश सामान चांद नबी अपने घर पर रखता था। अभियुक्तों ने बताया कि बरामद सामान को बेचने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी चोरी कर सारा सामान एक साथ बेचकर कहीं दूर भाग जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने थाना क्षेत्र में करीब एक माह पूर्व भाटी गेट के पास भाटी कम्पाउण्ड में हुई एक अन्य चोरी की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा बताया कि उस घटना का चोरी किया गया सामान सीमापुरी क्षेत्र में बेच चुके हैं और प्राप्त धनराशि नशे में खर्च कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. आमिर पुत्र सलीम निवासी बच्चा/पप्पू कॉलोनी, थाना शालीमार गार्डन, गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष।
2. चांद नबी पुत्र शाहबुद्दीन निवासी ई-44**A**/347, नई सीमापुरी, दिल्ली, उम्र करीब 34 वर्ष।

3. फरदीन पुत्र लियाकत अली निवासी ई-43, न्यू सीमापुरी, थाना सीमापुरी, दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी का 01 मोबाइल फोन सैमसंग।
2. 02 टोप्स पीली धातु।
3. 01 अंगूठी पीली धातु।
4. 01 लोकेट पीली धातु।
5. 03 गिलास सफेद धातु।
6. 03 घड़ियां।
7. 04 पैर की अंगूठियां सफेद धातु।
8. घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर घर में चोरी की घटना कारित करने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-
थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना लोनी बोर्डर द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री सतीश शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लोनी बोर्डर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त दिनेश पुत्र रामदेव निवासी शिव वाटिका कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0- 02 गाजियाबाद

द्वारा आज दिनांक 13.07.2026 को धारा- 4 पॉक्सो एक्ट में 07 वर्ष का सश्रम का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म कारित कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 03.03.2018 को थाना लोनी बोर्डर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री सतीश शर्मा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	**म0मु0आ0 उषा** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 मुकेश कुमार** पैरोकार थाना लोनी बोर्डर

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ट्रांसफार्मर के 04 लोहे के टुकड़े, करीब 21 लीटर ट्रांसफार्मर का तेल, करीब 26 किग्रा ट्रांसफार्मर का तार व 01 गैस कटर बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12.07.2026 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री अमर सिंह शर्मा निवासी न्यायखण्ड-III, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा कनावनी नहर रोड के किनारे लगा 25 KVA का विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 13.07.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त मोहम्मद दानिश कुरेशी पुत्र

मोहम्मद इरशाद कुरेशी निवासी 801, केला भट्टा, थाना कोतवाली, जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से ट्रांसफार्मर के 04 लोहे के टुकड़े, करीब 21 लीटर ट्रांसफार्मर का तेल, करीब 26 किग्रा ट्रांसफार्मर का तार व 01 गैस कटर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों आमिर, भूरा उर्फ रेहान, इरशाद उर्फ सल्लू, बल्लू, जावेद तथा अरबाज के साथ मिलकर थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में नहर किनारे लगे ट्रांसफार्मर की चोरी की थी। घटना के समय वे एक डिजायार गाड़ी एवं पिकअप वाहन से आए थे तथा ट्रांसफार्मर को चोरी कर पिकअप में लादकर ले गए थे। इसके बाद सभी ने मिलकर ट्रांसफार्मर को काट दिया था। बरामद लोहे के टुकड़े, ट्रांसफार्मर का तेल एवं तार उसी चोरी किए गए ट्रांसफार्मर के हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मोहम्मद दानिश कुरेशी पुत्र मोहम्मद इरशाद कुरैशी निवासी 801 केला भट्टा, थाना कोतवाली, जिला गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष ।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आमिर पुत्र चांद निवासी पसौंडा, गाजियाबाद।
2. भूरा उर्फ रेहान पुत्र यूसुफ निवासी 121, प्रेम नगर, निकट गौशाला फाटक, थाना कोतवाली, गाजियाबाद।
3. इरशाद उर्फ सल्लू पुत्र यूसुफ निवासी 121, प्रेम नगर, निकट गौशाला फाटक, थाना कोतवाली, गाजियाबाद।
4. बल्लू पुत्र यूसुफ निवासी 121, प्रेम नगर, निकट गौशाला फाटक, थाना कोतवाली, गाजियाबाद।
5. जावेद निवासी डासना, थाना वेब सिटी, गाजियाबाद।
6. अरबाज कबाड़ी निवासी हिंडन विहार कॉलोनी, थाना नंदग्राम, गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

- ट्रांसफार्मर के 04 लोहे के टुकड़े।
- करीब 21 लीटर ट्रांसफार्मर का तेल।
- करीब 26 किग्रा ट्रांसफार्मर का तार।
- 01 गैस कटर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 13.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी श्री आजाद प्रजापति निवासी रतिराम कॉलोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ने नामजद तहरीर दी कि मेरे भाई विपिन को रास्ते में रोककर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की नियत से गोली मार देना जिसकी जीटीबी

अस्पताल दिल्ली में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-126(2)/352/109(1)/103(1)/3(5) बीएनएस में अभियुक्तगण 1.सोनू 2. ब्रहमपाल 3.सोनू की पत्नी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्तगण 1. ब्रहमपाल पुत्र रामसरन निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 73 वर्ष 2. आशा पत्नी सोनू निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि मृतक विपिन रात्रि में बाइक से आ रहा था तो रतिराम कॉलोनी में विपिन का मेरे पुत्र सोनू व हमारे साथ बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर कुछ कहासुनी हो गयी थी। इसी बात पर मेरे पुत्र सोनू द्वारा गोली मार दी गयी जो विपिन के पेट में लगी। जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी तथा गोली मारने वाला मेरा पुत्र सोनू वहाँ से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. ब्रहमपाल पुत्र रामसरन निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 73 वर्ष।

2. आशा पत्नी सोनू निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग व अभियुक्त ब्रह्मपाल के विरुद्ध पूर्व में हत्या के प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा साइबर अपराध हेतु खाते उपलब्ध कराने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देश पर साइबर अपराध के पोर्टल द्वारा चिह्नित हॉट स्पॉट पर कार्यवाही के दौरान पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध में लिप्त 3 अभियुक्तों को दिनांक 12.07.2026 को गिरफ्तार किया गया।

इन अभियुक्तों के पास से बरामद साक्ष्य से दिल्ली, झारखण्ड, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तराखण्ड राज्य की कुल 8 घटनाओं में 1018882/- रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं तथा उनके खाते में घटना के 415389/- रुपये प्राप्त कर निकाले गये हैं।

<u>अपराध कारित करने का तरीका -</u>

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि ये लोग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड कर उसका पैसा अपने खातों में प्राप्त कर बैंक से निकालकर अपना हिस्सा लेकर बाकी साथियों के दे देते थे। अभियुक्तों ने बताया कि उनके साथी फिशिंग, फेक गेमिंग एप, शेयर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, नौकरी के नाम पर लोगों से साइबर फ्रॉड कर उनके खाते में पैसे डलवाते थे। इन्हें साइबर फ्रॉड के इस पैसे को अपने खाते में प्राप्त करने तथा निकालकर देने के बदले में 5 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता था।

अभियुक्त गण के पास से बरामद साक्ष्य के आधार पर महाराष्ट्र निवासी श्री अभिराज चौहान के साथ झारखण्ड निवासी श्री आकाश मण्डल के साथ, दिल्ली निवासी श्री हसक के साथ, कर्नाटक निवासी ए महेश्वरन के साथ, राजस्थान निवासी सुश्री दीपिका के साथ, तेलंगाना निवासी श्री डी रिया के साथ, उत्तराखण्ड निवासी अरुण कुमार के साथ, महाराष्ट्र निवासी अविनाश भीमराज के साथ साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया है।

इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। इन अभियुक्तों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. प्रियांशु कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी ई 318 सेक्टर 23 संजय नगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष, शिक्षा – बीए।
2. विवेक कुमार पुत्र जयदेव साहू निवासी सी 88 सेक्टर 23 संजय नगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष, शिक्षा – डिप्लोमा।
3. पारस सोम पुत्र प्रदीप सोम निवासी म0नं0 54 राधा कुन्ज 2 नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष, शिक्षा – बीसीए।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

DRUNK & DRIVE अभियान::-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के आदेश के क्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/यातायात) महोदय के कुशल निर्देशन में दिनांक **11-07-2026** व **12.07-2026** को पुलिस उपायुक्त यातायात एवं अपर पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा एक दो दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों**,** चौराहों और संवेदनशील स्थानों (शिप्रा मॉल**,** गौर ग्रीन**,** राजनगर एक्सटेंशन**,** आरडीसी**,** मॉडल टाउन आदि) पर पूरी मुस्तैदी के साथ संचालित किया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा **'**ब्रैथ एनालाइजर**' (Breath Analyzer)** के माध्यम से संदिग्ध वाहन चालकों की सघन चेकिंग की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले (**Drink & Drive**) अराजक तत्वों के साथ-साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य वाहनों के विरुद्ध भी कठोर प्रवर्तन की कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान की गई मुख्य कार्यवाही का विवरण:

- ड्रिंक एंड ड्राइव (शराब पीकर वाहन चलाना): **90** चालान
- फाल्टी नंबर प्लेट (दोषपूर्ण नंबर प्लेट): **695** चालान
- मॉडीफाइड साइलेंसर (ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले): **90** चालान
- प्रेशर हॉर्न का उपयोग: **139** चालान
- विशेष अभियान के दौरान कुल **1028** चालान किये गये।

अभियान का मुख्य उद्देश्य:-

इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना, हुड़दंगियों पर लगाम कसना तथा आमजन के लिए सुरक्षित यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। गाजियाबाद पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करें। शराब पीकर वाहन चलाना न केवल स्वयं के जीवन को खतरे में डालता है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य निर्दोष नागरिकों के लिए भी अत्यंत घातक है। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के औचक और सख्त चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा।

अपील:-

यातायात पुलिस, **कमिश्नरेट गाजियाबाद आम जनमानस से अपील करती है कि सड़क** पर चलते समय यातायात नियमों का पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ पालन करें। शराब पीकर वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह आपके स्वयं के जीवन को खतरे में डालने के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य निर्दोष नागरिकों के लिए भी अत्यंत घातक साबित होता है। इसके अतिरिक्त, अपने वाहनों में दोषपूर्ण (फाल्टी) नंबर प्लेट, ध्वनि प्रदूषण फैलाने

वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करें। हमेशा याद रखें कि यातायात के नियम और सुरक्षात्मक उपकरण जैसे हेलमेट व सीट बेल्ट पुलिस के डर या चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि आपके सुरक्षित घर पहुँचने के लिए हैं। आइए, सड़कों को सुरक्षित व दुर्घटनामुक्त बनाने और एक सभ्य यातायात व्यवस्था कायम करने में जिम्मेदार नागरिक बनकर यातायात पुलिस का सहयोग करें।

ZFD (Zero Fatality District) के अंतर्गत चिन्हित क्रिटिकल थानों की क्रिटिकल टीम एवं RTC (Reducing Traffic Congesstion) के अंतर्गत यातायात पुलिस के रूट मार्शल द्वारा द्वारा किये गए सुधारात्मक कार्य

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेशों के अनुपालन में कमिश्नरेट में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम किये जाने के उद्देश्य से संचालित **ZFD (Zero Fatality District)** के अंतर्गत थाना इंदिरापुरम, कविनगर, मसूरी, मुरादनगर एवं नंदग्राम को "क्रिटिकल थाना" एवं गाजियाबाद के मार्गों पर यातायात के दबाव को कम किये जाने के उद्देश्य से **RTC (Reducing Traffic Congesstion)** के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा 08 मार्गों को चिन्हित किया गया है।

उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने एवं घटित सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों को ज्ञात कर उन पर सुधारात्मक/प्रवर्तन की कार्यवाही किये जाने हेतु सभी चिन्हित क्रिटिकल थानों में एक एक क्रिटिकल कॉरिडोर टीम में 1 उपनिरीक्षक 4 मुख्य आरक्षी/आरक्षी एवं यातायात के दबाव को कम किये जाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा 08 मार्गों पर रूट मार्शल के रूप में उपनिरीक्षक यातायात/मुख्य आरक्षी को नामित किया गया है।

पुलिस आयुक्त-गाजियाबाद, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-कानून व्यवस्था/यातायात के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त-यातायात, अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात के कुशल पर्यवेक्षण तथा सम्बंधित सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात व सम्बंधित यातायात निरीक्षक के नेतृत्व में क्रिटिकल कॉरिडोर टीम एवं यातायात पुलिस द्वारा चिन्हित रूट मार्शल द्वारा सड़क दुर्घटनाओं

एवं यातायात के दबाव के कारणों का विश्लेषण कर सबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए एवं अपने स्तर से निम्न सुधारात्मक कार्य कराये गए हैं:-

1- स्थान का नाम:- मननधाम के पास

BEFORE	AFTER

सुधारात्मक कार्यवाही:- मेरठ रोड पर मननधाम के पास पर वर्षा के कारण काफी संख्या में सड़क पर गढ्ढे हो गये थे, जिससे प्रतिदिन जाम की समस्या से आमजनता को परेशानी होती थी। RTC के अन्तर्गत रुट मार्शल-08 द्वारा उपरोक्त रोड पर रोडी गिटटी डलवाकर गढ्ढो को भरवाया गया।

2- स्थान का नाम:- विजय नगर टी-प्वाइन्ट के पास

BEFORE	AFTER

कृत सुधारात्मक कार्यवाही- विजय नगर टी-प्वाइन्ट के पास यातायात नियमो के सम्बन्ध में जागरुकता हेतु मार्शल-02 द्वारा साइनेज बोर्ड लगवाया गया।

3- स्थान का नाम:- लाजपत नगर से करन गेट जाने वाली रोड

BEFORE	AFTER

कृत सुधारात्मक कार्यवाही- ज्यादा बारिश होने के कारण उपरोक्त रोड अचानक धंस गयी, सूचना मिलते ही उपरोक्त रुट पर तैनात रुट मार्शल-06 के द्वारा उपरोक्त रोड़ की स्थिति और किसी अप्रिय घटना को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभाग से तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त रोड को ठीक कराया गया।

4- स्थान का नाम:- **VVIP** मॉल राजनगर एक्सटेंशन

BEFORE

AFTER

FINAL

कृत सुधारात्मक कार्यवाही- **VVIP** मॉल राजनगर एक्सेटंशन के पास सड़र पर बने खतरनाक गड्डो के कारण सड़क दुर्घटना की सम्भावना बनी हुयी थी एवं यातायात भी धीमी गति से चल रहा था। उपरोक्त रुट के मार्शल-07 द्वारा स्वंय के स्तर से रोडी पत्थर डलवाकर गड्डे को भरवाया गया जिससे सम्भावित सड़क दुर्घटना को रोका जा सके।

5- स्थान का नाम:- कनावनी पुलिया के पास

BEFORE	AFTER

कृत सुधारात्मक कार्यवाही- कनावनी पुलिया के पास 90 डिग्री मोड होने के कारण अक्सर एक्सीडेन्ट होने की शिकायात प्राप्त होती थी। **ZFD** के अन्तर्गत सीसी टीम इन्दिरापुरम द्वारा उपरोक्त स्थान पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से **तीव्र मोड** का साइनेज बोर्ड लगाया गया।

गाजियाबाद पुलिस द्वारा आगे भी सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं संवेदनशील स्थानों पर निरंतर निरीक्षण एवं सुधारात्मक कार्यवाही की जाती रहेगी, जिससे कमिश्नरेट में यातायात जाम की समस्या एवं सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सके।